



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



रा. विद्युत चाहोर AB/481661
उपरोक्त हिया उपलब्धगार
मछलीशहर-जौनपुर

द्रस्ट / न्यास डीड (दस्तावेज)
न्यू आइडियल चेरिटेबल द्रस्ट,
जमालपुर, मुंगराबादशाहपुर, जौनपुर ८०४०

मैं अमरबहादुर यादव पुत्र मोहनलाल यादव निवासी जमालपुर, पोस्ट मुंगराबादशाहपुर, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर ८०४० का निवासी हूँ। मैं न्यू आइडियल चेरिटेबल द्रस्ट जमालपुर, पोस्ट मुंगराबादशाहपुर, तहसील मछलीशहर, जौनपुर उत्तर प्रदेश का दस्तावेज अपने हस्ताक्षरों से रजिस्टर्ड करता हूँ।

1- इस लोक कल्याणकारी एवं मानवता प्रेमी द्रस्ट का निर्माण एवं स्थापना आज दिनांक 26.07.2018 ई० को समाज के विभिन्न उद्देश्यों जन शिक्षा को बढ़ावा देने, स्वारथ्य दिकास, विज्ञान, नैतिक मूल्यों, कला, साहित्य पर्यावरण एवं भारतीय संस्कृति एवं परम्परा का निर्वाह करना है।

2. द्रस्ट न्यास की विधिक प्रतिबद्धता-

न्यू आइडियल चेरिटेबल द्रस्ट की स्थापना द्रस्ट एकट 1882 के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस द्रस्ट/न्यास 1882 के वे समस्त नियम/उपनियम लागू होंगे। जो कि द्रस्ट एकट के लिए आवश्यक है और न्यायिक विधा में व्यवहारिक तथा विधिमान्य है। न्यू आइडियल चेरिटेबल द्रस्ट उनके अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।

न्यास द्रस्ट के न्यासकर्ता के द्वारा घोषणा की जाती है कि रु० 11,000/- (ग्यारह हजार) रु० से इस द्रस्ट की स्थापना की जा रही है, कि न्यास/द्रस्ट के न्यास सदस्यों द्वारा प्राप्त हुई है। आगे यह घोषण की जाती है कि जो भी दान अनुदान चाहे कोष (फण्ड) या सम्पत्ति के रूप में प्राप्त होगा उसका उपयोग लोग जनकल्याणकारी मानव भलाई शिक्षा स्वारथ्य गरीबी, उन्मूलन, एवं अन्य जनकल्याणकारी कार्यों के लिए होगा। उसका उल्लेख रजिस्टर में अंकित होना या बैंक खाते में विवरण दिया जायेगा।

1-

अमर बहादुर भाटा

भारतीय नैर न्यायिक

एक सौ रुपये

RS. 100

रु. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

सत्यपव जयन

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

EF 908215

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रमेश्वरन्द्र सरोज
उपरोक्तिया उपकोषागार
मछलीशहर-जौनपुर

संस्थापक न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं संचालन के हेतु समर्पित है। न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों को संचालन कराने के लिए नियुक्ति प्रवंधन/सचिव न्यास/ट्रस्ट पहले से अपनी सहमति व्यक्त कर चुका है और वैद्यानिक रूप से 11,000/-रु0 (ग्यारह हजार) से अपना मालिकाना अधिकार रखता है। न्यास/ट्रस्ट के समुचित एवं स्थाई सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम पात्र सचिव की नियुक्ति की गयी है। न्यास/ट्रस्ट औपचारिक दस्तावेज क्रियाविन्त करने के लिए यह समझा जाता है कि न्यास/ट्रस्ट निश्चित शर्तों के साथ प्रवन्धक एवं अध्यक्ष को अपना अधिकार प्रदान करती है। इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम जमालपुर, पोस्ट मुँगराबादशाहपुर, जौनपुर है, आवश्यकतानुसार कार्यालय को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

न्यास/ट्रस्ट के संस्थापक द्वारा इस दस्तावेज को गवाहो के समक्ष निम्नलिखित रूप से प्रेषित की जाती है।

- 1- 11,000/- रु0 (ग्यारह हजार) रु0 न्यास/ट्रस्ट के सम्पत्ति होगी। और बाद में न्यास/ट्रस्ट की सम्पत्ति कहलाएगी।
- 2- न्यास/ट्रस्ट सम्पत्ति का अर्थ होगा उपरोक्त रकम 11,000/- रु0 (ग्यारह हजार) रु0 न्यास/ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी। इसके अतिरिक्त समय-समय पर पूँजी लगाना या किसी क्षेत्र के प्राप्त की गयी धनराशि इसके अतिरिक्त दान दाताओं एवं स्वयं से संगठनों तथा किसी संस्था अथवा सोसायटी द्वारा दी गयी रकम या सम्पत्ति न्यास/ट्रस्ट की होगी। न्यास/ट्रस्ट पर प्रोविजन इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 की सभी शर्त लागू होगी उपरोक्त न्यास/ट्रस्ट में नामित व्यक्ति जो न्यासी/ट्रस्टी बनाये गये।
3. ट्रस्ट/न्यास का नाम— अमरबहादुर यादव पुत्र मोहनलाल यादव
4. ट्रस्ट/न्यास का स्थायी पता— जमालपुर, पोस्ट मुँगराबादशाहपुर, तहसील मछलीशहर जिला जौनपुर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

राजसचिव सरोज
उपरोक्तिया उपक्रोक्षणार
मठलीशहर-जौनपुर

EF 908216

क्र०सं०	नाम	पिता/पत्नी का नाम	पद	पता
1	अमरबहादुर यादव	श्री मोहनलाल यादव	प्रबन्धक/ संरथापक/ अध्यक्ष	जमालपुर, पोस्ट मुँगराबादशाहपुर, तहसील मछलीशहर, जौनपुर
2	समरबहादुर यादव	श्री मोहनलाल यादव	कोषाध्यक्ष	जमालपुर, पोस्ट मुँगराबादशाहपुर, तहसील मछलीशहर, जौनपुर
3	राजबहादुर यादव	श्री मोहनलाल यादव	सचिव	जमालपुर, पोस्ट मुँगराबादशाहपुर, तहसील मछलीशहर, जौनपुर
4	सर्वेश यादव	श्री तेजबहादुर यादव	उपसचिव	जमालपुर, पोस्ट मुँगराबादशाहपुर, तहसील मछलीशहर, जौनपुर
5	लक्ष्मी यादव	श्री समरबहादुर यादव	सदस्य	जमालपुर, पोस्ट मुँगराबादशाहपुर, तहसील मछलीशहर, जौनपुर

5. द्रस्ट/न्यास निर्माता/न्यासकर्ता :-

श्री अमरबहादुर यादव पुत्र मोहनलाल यादव

ग्राम— जमालपुर

पोस्ट— मुँगराबादशाहपुर

जनपद—जौनपुर, उत्तर प्रदेश

सम्पूर्ण भारत

6. द्रस्ट/न्यास कार्य क्षेत्र :-

7. न्यासकर्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम व पद :- मुख्य न्यासी

8. न्यासधारी द्रस्टी :-

न्यू आइडियल चेरिटेबल द्रस्ट

कार्यालय जमालपुर, पोस्ट मुँगराबादशाहपुर तहसील
मछलीशहर, जौनपुर उ०प्र०।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रमेशचन्द्र सरोज EF 908594
उपरोक्तदिया उपकोषागार
मछलीशहर-जौनपुर

9. ट्रस्ट/न्यास का स्वरूप—

यह ट्रस्ट/न्यास एक स्वैच्छिक सामाजिक संगठन है जो जाति धर्म वर्ग सम्प्रदाय से ऊपर उठकर जनहित सर्व हिताय सर्व सुखाय के लिए कार्य करेगा।

10. लाभग्राही —

हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई बौद्ध आदि समस्त धर्म जाति के समस्त लोगों को बिना किसी भेद भाव के सामान्य विकास अर्थात् मानव मात्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह ट्रस्ट कार्य करेगा एवं सभी को समान लाभ पहुँचाने का प्रयास करेगा।

11. फादयाग्राही व्यक्ति —

ट्रस्ट/न्यास द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा बल्कि ट्रस्ट के विकास व उसके कार्यक्रमों के विकास में लोग कल्याण के लिए लगाया जायेगा।

12. ट्रस्ट के उद्देश्य —

1. सामाजिक विकास के लिए विशेष कर इन क्षेत्रों में जैसे भारत वर्ष में निरीह और जरूरत मंद बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए भारत के विभिन्न प्रान्तों में अपने उद्देश्यों के निहित से भिन्न-भिन्न बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं का संचालन करना एवं उसकी प्रवन्ध समितियों की गठन करना तथा प्रवन्ध समितियों संस्था का संचालन करना।
2. न्यू आइडियल चेरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय जमालपुर पोस्ट मुँगराबादशाहपुर तहसील मछलीशहर जिला जौनपुर उ0प्र0 जो श्री अमरबहादुर यादव संस्थापक/प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा संचालित होगा। उसके अन्तर्गत संचालित प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं की कक्षाएं संचालित की जायेगी।

2. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उसे उम्मीद माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
3. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी स्कूल एजूकेशन नई दिल्ली/काउसिंस फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
4. संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
5. कर्मचारियों की सेवा शर्त बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उम्मीद विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
6. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
7. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
8. उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

नोट - पन्ना दी के सत्र अद्गरण में शब्द - पासका नाम के बाद उपर शब्द न्यू
आइडियल - नेरिटेबल ट्रॉल दर्ज है

अमाबृह २५/५/२१

हस्ताक्षर


प्रबन्धक/अध्यक्ष/संस्थापक

दिनांक - 26-7-2018

lal



आशीष भारतीय
पूर्व उच्च निवृत्ति
विद्यालय
गो- दीर्घा फै
आदर्श पुर किं
जीवन पुर
मोन- ४१६०११२५१



मनोदेव त्रिव
कौ श्री लक्ष्मी नाम
D. श्री बाबूजी वर्म
महानीश द्वा उपर्युक्त
मान्य
मो. ९८३८०५५८०६

3. सामाजिक विकास के लिए पुस्तकालय वाचनालय, व्यायामशाला, अस्पताल तथा प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक इंटर एवं सी०बी० एस०सी० बोर्ड आई०सी०एस० बोर्ड यूपी० बोर्ड, महाविद्यालय अभियान्त्रिक कालेज मैडिकल कालेज, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हास्पिटल, सामाजिक शिक्षा केन्द्र प्राविधिक शिक्षा केन्द्र आवासीय विद्यालय, निराश्रित सेवा केन्द्र छात्रवास, पशु पालन, गो सेवा सदन, मुर्मा पालन, सांस्कृतिक केन्द्र, कुटीर उद्योग प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र कृषि विज्ञान, शिक्षा केन्द्र आदि की स्थापना करना एवं इनका संचालन करना। मंदिर आदि का निर्माण करना, स्थापना करना व देख-रेख करना।
4. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मजदूर महिलाओं पुरुषों के शैक्षिक सामाजिक अर्थिक स्वास्थ्य के विकास के लिए खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम कृषि विकास, पशुपालन, पर्यावरण, भूमि सुधार सिचाई पेयजल, नशा, बच्ची निवारण, सामाजिक कुरीतियों सम्प्रदायिकता का विकास आकस्मिक दुर्घटना में सहायता, महिला उत्पीड़न का विरोध व प्रताड़ित महिलाओं का संरक्षण। अनाथ शिक्षाओं का संरक्षण व पोषण परम्परागत चिकित्सा प्रणाली का विस्तार आदि कार्यक्रम चलाये जायें।
5. समय-समय पर मीटिंग गोष्ठी, सेमिनार अधिवेशन, प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।
6. देश के होनहार प्रतिभाओं सामाजिक कार्यकर्ता राजनीति में एवं उत्कृष्ट सेवाओं से ईमानदार अधिकारियों कर्मचारियों को उत्साह वर्धन के लिए नागरिक सम्मान व प्रशस्ति पत्र तथा पुरस्कार प्रदान करें।
7. ट्रस्ट अपने स्वावलम्बन प्रतिष्ठानों जिला प्रशासन राज्य सरकार केन्द्र सरकार एवं सरकारों के अधीन विभिन्न मंत्रालयों व अन्तराष्ट्रीय एजेन्सियों से चन्दा दान, अनुदान प्राप्त करेगा।
8. निराश्रित एवं जरूरतमन्दों की मदद करना न्यास/ट्रस्ट द्वारा जरूरत मन्दों को स्वरोजगार हेतु कम दर पर ऋण प्रदान करना।
9. दलित एवं अति पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति एवं अनु०जनजाति एस०सी० / एस०टी० एण्ड ओ०बी०सी० के उत्थान के लिए कार्य करना।
10. समाज के कमजोर वर्ग, महिलाओं विकलांगों एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना तथा समाज में आदर्श संस्कृति समानता भाईचारा स्थापित करने के लिए कार्य करना।
11. समाज में व्याप्त बुराइयों एवं कुरीतियों का प्रबल विरोध करना एवं व्यक्तियों के सांस्कृतिक तथा चारित्रिक निर्माण के लिए प्रयास करना।
12. युवकों को मद्यपान एवं नशाखोरी के प्रभाव से निकालकर पुनर्वास की व्यवस्था करना, तथा उन्हे स्व-रोजगार द्वारा स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करना।
13. गरीब बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्राथमिक विद्यालय जू०हा०स्कूल उ०मा०वि० तथा महाविद्यालय की स्थापना करना एवं संचालित करना।
14. सभी को स्वास्थ्य समृद्धि एवं स्वावलम्बन की व्यवस्था के लिए कार्य करना तथा स्वदेशी की अवधारणा पर खादी एवं ग्रामोद्योग का विकास करना एवं इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
15. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं कृषकों के उत्थान के लिए टिकाऊ कृषि प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा कृषकों को सज्जी एवं फल प्रसंस्करण के लिए प्रेरित करना एवं फल प्रशिक्षित करना कृषि आधारित उद्योग के प्रचार प्रसार एवं स्थापना हेतु उपर्युक्त पात्रों को परामर्श एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

5-
अगष्ट २०१५/५१२९

16. प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, आगजनी, महामारी, विपत्तियों के समय भी पीड़िता को हर सम्भव सहायता उपलब्ध करना। समय-समय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद स्वास्थ्य विभाग इत्यादि संस्थाओं से सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
17. मातृ, शिक्षा कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण एवं टीकाकरण कार्य के लिए कार्य करना तथा प्रचार प्रसार करना।
18. ग्राम्य स्तर पर उत्पादित वस्तुओं, हस्तकलां सामाग्रियों के निर्माण के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
19. जैविक खेती द्वारा सब्जी, फल, एवं अनाज का उत्पादन कराकर एवं फसलों में रोग नियंत्रण हेतु विभिन्न कीटों (फसल मित्र) का प्रयोग करना रासायनिक विषाक्तता की मुक्ति के लिए प्रयत्न करना।
20. गो वंश संरक्षण संवर्धन एवं विकास की दिशा में कृषकों एवं जनमानस की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कार्य करना।
21. सामाजिक वानिकी कृषि वानिकी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण तथा भारतीय जीव जन्तु कल्याण एवं अन्य जीव संरक्षण एवं संवर्धन एवं सघन वृक्षारोपण की बढ़ाव देना।
22. जगह-जगह पर बनौषधिक उद्यानों की स्थापना करा कर औषधियों (विशेषतः लुप्त प्राय:) का संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जागरूकता बढ़ाना।
23. गैर पारम्परिक ऊर्जा श्रोतों का विकास एवं प्रचार-प्रसार करना।
24. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक दृष्टि से सर्वेक्षण करना तथा न्यूज पत्र (समाचार पत्र) सम्पादित करना।
25. खेल कूद पर्यटन योग या लोकगीत लोक संस्कृति एवं परम्पराओं का प्रचार प्रसार करना एवं विकास करना।
26. विभिन्न प्रकार के सूचनाएं जैसे— सांस्कृतिक वैज्ञानिक, आर्थिक सामाजिक इत्यादि एकत्र करना तथा कार्यशालाओं का आयोजन कर इन सूचनाओं को जन सामान्य तक पहुँचाना।
27. शासन स्तर पर से हो रहे ग्रामीण विकास एवं समाज कल्याण के प्रयासों का प्रचार प्रसार करना एवं उन दिशा में आने वाली समस्याओं का निराकरण करने में सहयोग करना।
28. अन्य सभी कार्य करना जिससे जन सामान्य की भलाई एवं कल्याण हो।
29. विभिन्न कार्यों के निराकरण के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना। जो इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करेगी।
30. समय-समय पर गौव में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेंगे।
31. गरीब एवं अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रसार होगा।
32. लोगों को नशा मुक्त मिशन से जोड़ने का कार्य करेंगे।

13. ट्रस्ट/न्यास प्रवन्धकारिणी समिति —

ट्रस्ट/न्यास प्रवन्धकारिणी समिति में दस्तावेजों में उल्लिखित/पदाधिकारी/मुख्य ट्रस्टी आजीवन सदस्य रहेंगे। इनमें से किसी का स्थान रिक्त होने पर पदाधिकारी/मुख्य ट्रस्टी से कोई एक उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेंगे।

ट्रस्ट/न्यास के प्रवन्धकारिणीय समिति में उत्तरदायी प्रवन्धक ट्रस्टी होंगे। इस ट्रस्ट के प्रवन्धक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।

ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार से होगी।

श्री अमरबहादुर यादव संस्थापक/मुख्यट्रस्टी/अध्यक्ष

14. प्रवन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद : —

15 —ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता :—

1— संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी:-

6-
अन्ना बहूनी ५१२९

न्यू आइडियल चेरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी होंगे जिन्हे अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी के अलावा किसी भी प्रकार के ट्रस्ट/न्यास के संचालन एवं नियंत्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है। ट्रस्टी में से यदि कोई स्थान रिक्त होता है। तो कोई एक उत्तराधिकारी या उनकी सहमति से कोई एक उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेंगे।

जो व्यक्ति ट्रस्ट को 5000/- पॉच हजार रुपये सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा। वह एक वर्ष के लिए सहयोगी ट्रस्ट/न्यास होगा। इसके लिए संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी के खिलाफ काम करने पर प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निलंबित किये जा सकते हैं।

2. सहयोगी ट्रस्टी/न्यास -

3. सहयोगी ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता समाप्ति :- पागल होने दिवालिया होने मृत्यु होने पर या किसी न्यायालय द्वारा सजा पाने या त्याग पत्र देने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगा। या ट्रस्ट/न्यास सदस्य ट्रस्ट के खिलाफ काम करने पर प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निलंबित किये जा सकते हैं। प्रबन्धक को अधिकार होगा कि कोई भी अनियमितता पाने पर ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी का पद समाप्त कर उसे निष्कासित कर सकता है।

16. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी।
2. चल अचल सम्पत्ति को खरीदना, वेचना व रेहन रखना, ऋण लेना, अनुदान लेना या किसी पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करना व उनको मनोनीत करना नियुक्ति करना, निष्कासन करना, व किसी अधिकारी द्वारा किये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदिन करना या उसे निरस्त करना।
3. ट्रस्ट/न्यास के अन्तर्गत संचालिक संस्था के परियोजनाओं के संचालन में समितियों व मुख्य समितियों को गठन करना, उनके पदाधिकारियों को मनोनीत करना उन्हे अधिकार प्राप्त करना तथा भंग करना व प्रदत्त अधिकारों को वापस लेना।
4. ट्रस्ट/न्यास द्वारा गठित समितियों व उपसमितियों संस्थाओं व परियोजनाओं को अलग-अलग बैंक खातों को समयानुसार चालू करने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत करना व बैंक खाते खुलावाना और उन्हे बन्द करना या परिवर्तन करना।
5. ट्रस्ट/न्यास की ओर से किसी भी प्रकार की अनुबंध या दस्तावेज लिखने के लिए वाद-विवाद के पैरवी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करना तथा वार्षिक आय-व्यय का लेखा जोखा स्वीकृत करना तथा आगामी बजट तैयार करना।
6. ट्रस्ट/न्यास के किसी पदाधिकारी द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध प्रत्यावेदन पर सुनवाई करना व उस पर निर्णय देना।
7. आवश्यकतानुसार ट्रस्ट/न्यास के नियम और उपनियम बनाना तथा उनको क्रियावित्त करना।
8. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट बोर्ड सर्वाधिकार सम्पन्न और वह समस्त निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी जो आवश्यकतानुसार महसूस किये जायेंगे।

17. मुख्य ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

मुख्य ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी समिति में एजेंडा के अनुसार अपने विचार रखेंगे और निर्णय लेने में प्रबन्धकारिणी समिति की मदद करेंगे प्रबन्धक आम सहमति से सदस्यों की संख्या घटा व बढ़ा सकती है।

18. सहयोगी द्रस्टी :-द्रस्ट/न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं की सहमति उपसमितियों एवं पदाधिकारियों के रूप में मनोनीत किये जावेगी और वे सौंपे गये कार्यवाही को पूरा करने के लिए प्रतिबन्ध होंगे।

19. द्रस्ट/न्यास के सामान्य नियम :-

1. द्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति में चार सदस्य होंगे जिनमें द्रस्ट अध्यक्ष, द्रस्ट उपाध्यक्ष द्रस्ट प्रवन्धक एवं सचिव चार पदाधिकारी होंगे। जो द्रस्ट/न्यास के संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे। द्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवन्धक एवं अध्यक्ष होंगे।
2. द्रस्ट/न्यास की कार्यवाही के प्रारम्भ में उपरिथित सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे व अन्त में द्रस्ट/न्यास अध्यक्ष एवं द्रस्ट प्रवन्धक सचिव के हस्ताक्षर होंगे।
3. प्रवन्धकारिणी की बैठक की सूचना सामान्य रूप से एक सप्ताह पूर्व एजेण्डा द्वारा प्रमाणित सूचना दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में आकस्मिक 24 घण्टों में बुलाया जा सकता है।
4. द्रस्ट/न्यास में द्रस्टी सदस्यों की संख्या कम से कम दो और अधिक से अधिक 15 तक होगी।
5. प्रबन्धकारिणी समिति के प्रस्तावित एजेण्डा में यदि कोई प्रस्ताव नहीं है और उसको समिति में रखना तो अध्यक्ष की अनुमति से रखा जा सकता है।
6. निर्णय बहुमति वे आधार पर होगा। समान मत पड़ने की स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।
7. द्रस्ट/न्यास का वार्षिक अधिवेशन एवं समय तक आडिट करना प्रवन्धकारिणी के समिति के निर्देशां पर होगा।
8. द्रस्ट/न्यास के दस्तावेजों में संशोधन :-
द्रस्ट/न्यास यदि महसूस करता है कि उसके दस्तावेज में किसी धारा में संशोधन परिवर्तन या परिवर्धन है तो वह संस्थापक सदस्यों की अनुमति से कर सकता है।

20- द्रस्ट/न्यास का कोष :- द्रस्ट/न्यास अपने किसी निजी या अपने अधीनस्त किसी संस्था या परियोजना का खाता किसी राष्ट्रीय कृत बैंक या पोस्ट आफिस में प्रवन्धकारिणी समाति के प्रस्ताव द्वारा पारित करके प्रवन्धक एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर से खाता खुल सकता है। तथा कोई भी धन इनमें से दोनों के हस्ताक्षर से निकाला जायेगा आवश्यकतानुसार उन खातों में परिवर्तन कर सकता है। एवं चयनित पदाधिकारी का नाम परिवर्तन कर सकता है। द्रस्ट/न्यास का अपना निजी खाता होगा एवं विदेशी सहायता के लिए एक अलग से खाता परिचालित होगा।

21- विवादित स्थित निर्णय:-

द्रस्ट/न्यास में से किसी भी प्रकार विवाद की स्थिति होने पर या किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित होने पर द्रस्ट/न्यास के संस्थापक द्रस्टियों को द्रस्ट के दस्तावेजों के मुताविक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। और वे द्रस्ट में संचालन के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। तथा प्रवन्धक द्रस्ट की प्रवन्ध कार्यकारिणी समिति के लिए अलग से द्रस्टियों को मनोनीत कर सकेंगे। और द्रस्ट/न्यास के समस्त चल अचल सम्पत्ति के नियंत्रण व सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ऐसी परिस्थिति में अतिंम प्रबन्धकारिणी समिति एवं प्रवन्धक का निर्णय मान्य होगा। किसी परिस्थिति में कोई द्रस्टी सदस्य किसी भी न्यायालय में मुकदमा दाखिल

नहीं कर सकता है। यह ट्रस्ट/न्यास तथा उससे संचालित सभी संस्थाओं पर लागू होगा।

22- ट्रस्ट/न्यास के रिकार्ड एवं अभिलेख :-

सदस्यता रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैशबुक, लेजर, बाऊचर, फाइल, सदस्यता फाइल, रसीद बुक, पासबुक, चेकबुक, निरीक्षण रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, आदि ट्रस्ट के रिकार्ड होंगे जो प्रवन्धक के पास होंगा।

23- अनुशासनात्मक कार्यवाही :-

ट्रस्ट/न्यास के तथा ट्रस्ट के अधिनस्थ किसी संस्था समिति के किसी प्रकार के पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय ट्रस्ट प्रवन्धक कार्यकारिणीय समिति करेगी।

24- वाद/विवाद (प्रतिवाद) :-

समस्त प्रकार के वाद तथा प्रतिवादों का कार्यक्षेत्र जौनपुर (उ०प्र०) में रहेगा। तथा ट्रस्ट/न्यास दूसरों द्वारा ट्रस्ट परदायक वाद/विवाद/प्रतिवाद ट्रस्ट के पद नाम से होंगे, व्यक्तिगत नाम से नहीं और ट्रस्ट इस प्रकार के वाद-प्रतिवाद की परैवी के लिए किसी व्यक्ति या पदाधिकारियों को मनोनित कर सकता है। तथा अपना कानूनी सलाहकार निश्चित कर सकता है।

25- परियोजनाओं की संचालन में ट्रस्ट/न्यास की व्यापकता :-

ट्रस्ट/न्यास सामाजिक लाभ के लिए संस्थाओं परियोजनाओं का ग्राम स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर कर सकता है जो कि भारत वर्ष के किसी प्रान्त, जिले, तहसील, व ग्रामों में चलाई जायेगी।

26- पदों का सृजन :-

ट्रस्ट/न्यास आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन कर सकता है और पर सुयोग्य व्यक्ति को पद स्थापित कर सकता है। तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रवन्ध समितियों गठन करके उनके उत्तरदायी पदाधिकारियों से मनोनित करके उन्हे कार्य सौंप सकता है।

27- ट्रस्ट/न्यास का विस्तार :- न्यू आइडियल चेरिटेबल ट्रस्ट अपनें कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए भारत वर्ष के किसी भी प्रान्त या जिले में अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

28- लेखा / जोखा (आडिट) :-

आर्थिक वर्ष के उपरान्त ट्रस्ट/न्यास अपने लेखा जोखा को चुस्त, दुरुस्त और उसकी आडिट भी करायेगा। आवश्यकता पड़ने पर खर्च से ट्रस्ट/न्यास के पदाधिकारियों / मुख्य ट्रस्टी की सहमति से आडिट करायेगा। तथा उसका लेखा जोखा भी रखेगा। चार्टर एकाउन्टेन्ट (सी०ए०) की मदद भी ले सकता है।

प्रतिबन्ध -

- विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

अमृष्ट ५१२९

पंजीकरण सं० ३०५० । १२.४१।७५
दि० ३६८९५
प्रभावी सं० ६३२५७
दि० ११२७
जन्म तिथि २५७२७।

जन्म तिथि



ਮਿਥੁਨ

Pallet Paper
ISSUED 1909

Soc. of
All...

लार कौसिन आण उत्तर पदेशा

इलाहाबाद

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/का०/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री बाबू लाल देवन

पता अमायूरे दुग्धसंकुशाद्य

बार कौसिल आफ उत्तर प्रदेश के पंजाकुत
अधिकारी हैं।

दिनांक २२/१०/७८

(प्रेम नाथ ल्यागी)

संक्षिप्त

बार कॉस्टिल आफ उत्तर प्रदेश



भारत सरकार
Government of India

आशीष कुमार तिवारी
Ashish Kumar Tiwari
जन्म तिथि / DOB : 15/05/1989
पुरुष / Male

6507 9582 3042

मेरा आधार, मेरी पहचान



आधार

प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
आत्मज: प्रेमचंद्र तिवारी, 86, धौरहरा,
जौनपुर, मुग्रा बादशाहपुर, उत्तर
प्रदेश, 222202

Address:
S/O: Premchandra Tiwari, 86,
Dhaurahara, Jaunpur, Mungra
Badshahpur, Uttar Pradesh,
222202

6507 9582 3042



1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in



भारत सरकार
Government of India



मदनमोहन मौर्य
Madanmohan Maurya

जन्म तिथि / DOB: 27/01/1952
पुरुष / Male

6395 8261 3236



Unique Identification Authority of India

पता: आनंदज़: रामदास मौर्य
मकान नं 149, मोहल्ला बरबसपुर
पोस्ट नंगलीशहर, मछलीशहर, मछली शहर
जौनपुर, उत्तर प्रदेश, 222143

Address: S/O: Ramdas
Maurya, House no 149,
Mohalla Barbaspur, Post
Machhalishahar,
Machhalishahar, Jaunpur,
Machhali Shahar, Uttar
Pradesh, 222143

6395 8261 3236



help@uidai.gov.in

www.
www.uidai.gov.in

आधार - आम आदमी का अधिकार